

## कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा/प्रार/आरटीई/सी/18878/आरटीई दिशानिर्देश/2023-24/ दिनांक 26/7/23

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)  
प्रारम्भिक शिक्षा / माध्यमिक शिक्षा  
समस्त जिले।

**विषय:-** पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में प्रवेश के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बालशिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत निःशुल्क प्रवेश हेतु जारी दिशा-निर्देशों के क्रम में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में लम्बित याचिकाओं के सन्दर्भ में पारित आदेश दिनांक 18.07.2023 के अनुसार आरटीई के तहत निःशुल्क प्रवेश एन्ट्री लेवल पूर्व प्राथमिक कक्षा पीपी3 एवं कक्षा-1 में लिये जा सकेंगे। उक्त विषयक याचिकाओं के क्रम में ही पारित आदेश दिनांक 20.07.2023 आदेशानुसार, शैक्षिक सत्र 2023-24 में पीपी4+ व पीपी5+ में आरटीई के तहत दिनांक 20.07.2023 से पूर्व प्रवेशित विद्यार्थियों के प्रवेश निरस्त नहीं किया जा सकेगा। उक्त के संबंध में आपके परिक्षेत्र से प्राप्त परिवेदनाओं का निस्तारण कर गैर सरकारी विद्यालयों में आरटीई के तहत दिये गये समस्त प्रवेश सुनिश्चित करावें। उक्त आदेशों का उल्लंघन करने वाले गैर सरकारी विद्यालयों के विरुद्ध गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989, नियम 1993 संशोधित नियम 2011 के अनुसार 8(ख) के तहत कार्यवाही कर स्पष्ट अभिशांषा सहित प्रस्ताव निदेशालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

संलग्न:- माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.07.2023 एवं 20.07.2023।

(काना राम)

IAS

प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान, बीकानेर

Signature valid

Digitally signed by Kana Ram  
Designation: Director  
Date: 2023.07.26 20:46:15 IST  
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4377522

